

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी









आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि स्विकृत जिल्ला दररेट



२०८०

आज मिति २०८०।०३।२८ गतेका दिन सर्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ बमोजिमको जिल्ला दर रेट कायम गर्ने प्रयोजनको लागि जिल्ला दर रेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री गोपालप्रसाद अर्यालज्यूको अध्यक्षतामा देहायको उपस्थितिमा बैठक वसी देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|  श्री गोपालप्रसाद अर्याल | प्रमुख जिल्ला अधिकारी | जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी- अध्यक्ष |
|  श्री खेमराज गुरुङ | जिल्ला समन्वय अधिकारी | जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय-सदस्य |
|  श्री कृष्णबहादुर घार्ती | प्रमुख कोष नियन्त्रक | कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय-सदस्य |
|  श्री घनश्याम पाठक | अध्यक्ष | निर्माण व्यवसायी संघ, डोटी- सदस्य |
|  श्री दिपकबहादुर खड्का | महासचिव | उद्योग वाणिज्य संघ, डोटी- सदस्य |
|  श्री इधर बाहाल | इन्जिनियर | सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना-सदस्य सचिव |

आमन्त्रित

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|  श्री दीर्घराज उपाध्याय | सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी | जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी |
|  श्री राजेन्द्रप्रसाद धर्मता | प्रहरी उपरीक्षक | जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डोटी |
|  हरि सिंह मण्डारी | आयुक्त | भेरेरिन्पु अस्पताल, डोटी |
|  दिपक गुरुङ | डि-पु | सदर डिभिजन डोटी |
|  शिव प्र. मान्जी | इन्जिनियर | विपामाला अस्पताल, न-पो डोटी |
|  जेश मान्जी | शाखिस्त | जलमैत तथा सीमाई डिभिजन |
|  के. जे. मान्जी | सहायक | निर्माण एकाइ, डोटी |
|  कर्ण बहादुर मान्जी | विद्युत खसार्क | डिभिजन वन कार्यालय, डोटी |
|  कर्ण बहादुर मान्जी | कृषि प्रशासक | कृषि कार्यालय, डोटी |

अ.स.स.स.

अ.स.स.स.

अ.स.स.स.

अ.स.स.स.

अ.स.स.स.

निर्णय नं. १ : स्थानीय निर्माण सामग्री दररेट निम्नानुसार तोक्ने निर्णय गरियो ।

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | आ. व. | | | क्षेत्रियता |
|---------|-------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| | | | ०७८/७९ | ०७९/८० | ०८०/८१ | |
| १ | बालुवा | | | | | |
| | क) चानेको वा धोएको बालुवा खोला वा खानीमा रोपन्टी समेत | घ.मि | १३०० | १४०० | १४०० | |
| | ख) खोला वा खानीको साधारण बालुवा | घ.मि | ९२० | १०४० | १०४० | |
| २ | खोलाको गिट्टी(खोला) रोपन्टी समेत | | | | | |
| | क) ४० मि.मि.र त्यसभन्दा धानी साईजको | घ.मि | १४०० | १४०० | १६०० | |
| | ख) २० मि.मि. त्यसभन्दा सानो साईजका | घ.मि | १४६० | १५०० | १७२० | |
| | ग) १० मि.मि. त्यसभन्दा सानो साईजका | घ.मि | १४७० | १७०० | १६०० | |
| | घ) ६ मि.मि. त्यसभन्दा सानो साईजका | घ.मि | १८२० | १९२० | २०४० | |
| ३ | फुटाएको गिट्टी (फुटाएको) स्थानमा रोपन्टी समेत | | | | | |
| | क) ४० मि.मि.र त्यसभन्दा सानो साईजको | घ.मि | १८२० | १९०० | २००० | |
| | ख) २० मि.मि. त्यसभन्दा सानो साईजका | घ.मि | २०३० | २१०० | २२०० | |
| | ग) १० मि.मि. त्यसभन्दा सानो साईजका | घ.मि | २१२० | २२०० | २२८० | |
| ४ | दुगा खानी वा खोलाको रोपन्टी समेत | | | | | |
| | क) गोला दुगा बोल्टर | घ.मि | ११०० | १२०० | १२२० | |
| | ख) खानीको दुगा | घ.मि | १६४२ | १७२० | १८४० | |
| | ग) कुदेको -Dressed Stone | घ.मि | २६०० | २७०० | २८०० | |
| ५ | माटो (शारी सगाउनु भन्दा बनाउने) | घ.मि | ४३२ | ४२० | ४०४ | |
| ६ | कमेरो माटो | घ.मि | ६३० | ६४० | ६२० | |
| ७ | स्थानीय काठ | | | | | |
| | क) सालको काठ (चिरान काठ) | घ.मि फिट | ४८०० | ४८०० | ४२०० | |
| | ख) सल्लाको काठ (चिरान काठ) | घ.मि फिट | २४०० | २४०० | २४०० | |
| | ग) कुकाठ (अन्य प्रकारका काठ) | घ.मि फिट | १००० | १००० | १०४० | |
| | घ) चिलपट | सेज | ३२ | ३२ | ३२ | |
| ८ | वास | घोटा | ४४२ | ४६० | ४७२ | |
| ९ | स्लेट | घ.मि | ४२ | ४३ | ४३ | |
| १० | छान्ने दुहा | घ.मि | ४२ | ४६ | ४३ | |
| ११ | CSEB (Interlocking Block) (300 mmx150 mmx 100 mm) | घोटा | | | ४२ | |

निर्णय नं. २ :

जिल्ला बाहिरबाट खरिद गरी न्याउनुपर्ने निर्माण सामग्रीहरूको हकमा कैलाली जिल्लाको दररेट निर्धारण समितिले तोक्नेको दररेटमा दुवानी भाडा जोडी कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३ :

कैलाली जिल्ला दररेट समितिले निर्धारण गरेको सामग्रीहरूमा उल्लेख नभएका सामानहरूको हकमा रजिस्टर्ड फर्महरूबाट तोकिएको म्युलतम मुल्यमा दुवानी भाडा जोडी यस जिल्लाको मुल्य कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४ :

जम्मा दररेट निम्नानुसार तोक्ने निर्णय गरियो ।

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | आ. व. | | | क्षेत्रियता |
|---------|--------------------------------|---------------|--------|--------|--------|-------------|
| | | | ०७८/७९ | ०७९/८० | ०८०/८१ | |
| १ | पस कामदार | प्रति श्रमदिन | १०२० | १००० | ११२० | |
| २ | मदस कामदार | प्रति श्रमदिन | ६२० | ७०० | ७४० | |
| ३ | मुपरभाइजर (निर्माण कार्यकर्ता) | प्रति श्रमदिन | ७४० | ७४० | ७८० | |

अ.स.स.स.

अ.स.स.स.

1 of 8

अ.स.स.स.

अ.स.स.स.

अ.स.स.स.

अ.स.स.स.

Prakash

Prakash

Prakash

Prakash

Prakash

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | भा. व. | | | वैधियता |
|---------|---------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|---------|
| | | | ०७८/७९ | ०७९/८० | ०८०/८१ | |
| ४ | सुपरभाइजर (सड़क जर्बोसफ) | प्रति श्रमदिन | ६२० | ६७० | ७०० | |
| ५ | सेन्च बर्जर | प्रति श्रमदिन | ६०० | ६४० | ६७० | |
| ६ | डेभी अपरेटर | प्रति श्रमदिन | १०२५ | ११२० | ११७५ | |
| ७ | डेभी अपरेटर हेल्पर | प्रति श्रमदिन | ६४० | ७०० | ७४० | |
| ८ | ड्राइभर (सवारी चालक) | | | | | |
| | डेभी ड्राइभर | प्रति श्रमदिन | १००० | १०७० | ११२० | |
| | साइड ड्राइभर | प्रति श्रमदिन | ६२० | ६६० | ६९० | |
| | हेल्पर | प्रति श्रमदिन | ६०० | ६४० | ६७० | |
| ९ | ल्यान टैक्सिसियन | | | | | |
| | क. सिनिघर | प्रति श्रमदिन | ९६० | १०२० | १०८० | |
| | ख. नुनिघर | प्रति श्रमदिन | ८१० | ८४० | ८७० | |
| १० | स्पाव अडिस्ट्रेण्ट | प्रति श्रमदिन | ६४० | ७०० | ७४० | |
| ११ | विजुलीकरण सम्बन्धी काम | | | | | |
| | क. विजुली चोक बढा गर्ने ज्यामी | प्रति श्रमदिन | ६०० | ६४० | ६७० | |
| | ख. विजुली तार जडान गर्ने ज्यामी | प्रति श्रमदिन | ६०० | ६४० | ६७० | |
| | ग. विजुली सम्बन्धी अन्य प्रकारको काम गर्ने ज्यामी | प्रति श्रमदिन | ७०० | ७४० | ८०० | |
| १२ | कम्प्युटर अपरेटर | | | | | |
| | क. सिनिघर | प्रति श्रमदिन | ९४० | १००० | १०६० | |
| | ख. नुनिघर | प्रति श्रमदिन | ८०० | ८४० | ८७० | |
| १३ | जलघर | प्रति श्रमदिन | १००० | १०७० | ११४० | |
| १४ | हेल्पर | प्रति श्रमदिन | ६०० | ६४० | ६७० | |
| १५ | भेदस्थान, स्टाफस्थान | प्रति श्रमदिन | ६०० | ६४० | ६७० | |
| १६ | प्याष्टर, ड्रिलर, आसा बर्जर, इलेक्ट्रिफिकेशन | प्रति श्रमदिन | १००० | १०७० | ११२० | |
| १७ | थीकिदार, माली, बमहेरायो | प्रति श्रमदिन | ६०० | ६४० | ६७० | |
| १८ | बेन्टी ट्याङ्ग क्लिनर | प्रति श्रमदिन | २४०० | २५२० | २६०० | |
| १९ | इका कृषी मजदुर | प्रति श्रमदिन | ७२० | ७६० | ८०० | |
| २० | बदल कामदार / सामान्य कृषी मजदुर | प्रति श्रमदिन | ६०० | ६४० | ६७० | |
| २१ | बम हेरायो | प्रति श्रमदिन | | | ६७० | |

निर्णय नं. ४ :

यस बाहेक अन्य पदहरूमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम लगाउनु जुन पदमा काम गराउनु हो, सो पदमा तैराल सरकारले निर्धारण गरेको शुद्ध इलव स्केललाई २६ (इम्प्लस) भन्ने भाषा यहाँ आउने रकमलाई वैतिक ज्याला रकम कायम गर्ने ।

निर्णय नं. ५ :

अप्टाइड राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको इकाभा निर्णय नं. ४ र ५ अनुसारको दरहरूमा १०% (पचास प्रतिशत) घट्ट गरी कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ७ :

टुकबाट निर्माण सामग्री बुझाउनुको लागि टुकको Working Hour र Idle Hour कमरा: प्रति घण्टा १११०।०० र रु ७६०।०० तथा इकाबाटको रु १०००।०० र रु. ४५०।०० निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ८ :

भेरिग प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्न वा अन्य कार्य गर्नु पर्दा Heavy Equipment रोडर, पेंडर तथा अन्य इन्जिनरीहरूको दरहरू सडक विभागबाट कायम गरिएको प्रतिघण्टाको धाडा दर अनुसार हुने निर्णय गरियो ।

Prakash

Prakash

Prakash

Prakash

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | आ. व. | | | केफियत |
|---------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| | | | ०७८/७९ | ०७९/८० | ०८०/८१ | |

निर्णय नं ९ :

बैलिन प्रयोग गरी सडक रिमांग गर्दा प्रति घन मिटर माटो सन्ने कामका लागि सबक विभागबाट कायम गरिएको नार्म (Norm) बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं : १०

दुकानी ज्यामा निम्नजस्तै निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

| क्र.सं | विवरण | इकाई | आ. व. | | | केफियत |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | ०७८/७९ | ०७९/८० | ०८०/८१ | |
| १ | जिल्ला बाडिबाट गाडीबाट पक्की सडकमा सबै किसिमका मातमान दुबानी | | | | | |
| | क) सजिलो सामान (जस्तै- मुन, चिनी, सिमेन्ट र रसायनिक मल आदि) । | प्रति क्विन्टल/प्रति कि.मि. | २.१ | २.३ | २.४ | |
| | ख) जिल्ला बाडिबाट गाडीबाट पक्की सडकमा असजिलो मातमान दुबानी (प्लास्टिक टपाडी, पाईप, ट्रान्स्फार्मर, पोल, तार, च्याकल, स्टे, इन्सुलेटर आदी) । | प्रति क्विन्टल/प्रति कि.मि. | १०.२ | ११ | ११.६ | |
| | ग) अन्य सबै प्रकारका असजिलो मातमान दुबानी । | प्रति क्विन्टल/प्रति कि.मि. | ६.८ | ७.२ | ७.४ | |
| २ | जिल्ला भित्र गाडीबाट पक्की सडकमा सबै प्रकारका मातमान दुबानी | | | | | |
| | क) सजिलो सामान (जस्तै- मुन, चिनी, सिमेन्ट र रसायनिक मल आदि) । | प्रति क्विन्टल/प्रति कि.मि. | २.८ | ३.१ | ३.४ | |
| | ख) असजिलो सामान (जस्तै- प्लास्टिक टकी र पाईप, फलामे छड, स्थायित्व तार वा काँडे तार, जस्तापाता, फर्निचर, ट्रान्स्फार्मर, पोल, तार, च्याकल, स्टे, इन्सुलेटर र जगड समेत आदी) । | प्रति क्विन्टल/प्रति कि.मि. | ८ | ८.२ | ९ | |
| | ग) स्थायित्व तार जागी मागिसके बुनेको | प्रति क्विन्टल/प्रति कि.मि. | ३४.७४ | ३६.४ | ३७.७२ | |
| | घ) बाँधिभण्डा सामानहरू (जस्तै- शीपटी, विपारी बीसन, सोमार्थावर, काँच वा मिसा, भापटल प्रै ठोस कनठुने सामान आदी) । | प्रति क्विन्टल/प्रति कि.मि. | ८.४ | ९ | ९.६ | |
| ३ | जिल्लाभित्र गाडीबाट कच्ची सडकमा मातमान दुबानी | | | | | |
| | क) सजिलो सामान (जस्तै- मुन, चिनी, सिमेन्ट र रसायनिक मल आदि) । | प्रति क्विन्टल/प्रति कि.मि. | ११.१ | १२ | १२.८ | |
| | ख) असजिलो सामान (जस्तै- प्लास्टिक टकी र पाईप, फलामे छड, स्थायित्व तार वा काँडे तार, जस्तापाता, फर्निचर, ट्रान्स्फार्मर, पोल, तार, च्याकल, स्टे, इन्सुलेटर र जगड समेत आदी) । | प्रति क्विन्टल/प्रति कि.मि. | १२.२ | १४.३ | १४.१ | |
| | ग) स्थायित्व तार जागी मागिसके बुनेको | प्रति क्विन्टल/प्रति कि.मि. | २७.६ | २८.४ | २९.४ | |

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | आ. व. | | | केफिपा |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | ०७८/७९ | ०७९/८० | ०८०/८१ | |
| | घ) जेष्ठिमपुर्ण सामानहरु (जस्तै- बीपछी, बिचाडी घोलन, सोलारप्यानल, काँच वा सिमा, आबठन धेरै ठोस कमहुने सामान आदी । | प्रति विन्डल / प्रति कि.मि. | १३.३ | १४ | १४.९ | |
| ४ | भरियाबाट सातसामान हुवानी | | | | | |
| | क) असजिलो सामान (जस्तै- नुन, चिनी, सिमेन्ट र रसायनिक मज आदि) | प्रति के.जी. / प्रति कोष | ३.२४ | ३.४ | ३.७४ | |
| | ख) असजिलो सामान (जस्तै- प्लास्टिक टकी र पाईप, टिन आडु र ई. सम्म र धोलेधिन ९० मि.मि. सम्म), फलामे छड, ग्याविषन तार वा काँडे तार, जस्तापाता, फर्निचर, सोलारा प्यानल, एलिङ ब्याट्री, टुन्डफर्मेर, फोल, तार, प्यानल, स्टे, इन्सुलेटर र काठ समेत आदी । | प्रति के.जी. / प्रति कोष | ४.१४ | ४.३ | ४.६ | |
| | ग) भौमुङ्गे पुतको मज्जा | प्रति के.जी. / प्रति कोष | ९.२४ | ९.४ | १०.१ | |
| | घ) जेष्ठिमपुर्ण सामानहरु (जस्तै- बीपछी, बिचाडी घोलन, सोलारप्यानल, काँच वा सिमा, आबठन धेरै ठोस कमहुने सामान आदी | प्रति के.जी. / प्रति कोष | ४.० | ६ | ६.४३ | |
| ५ | खप्परबाट सातसामान हुवानी | | | | | |
| | क) असजिलो सामान (जस्तै- नुन, चिनी, सिमेन्ट र रसायनिक मज आदि) | प्रति के.जी. / प्रति कोष | १.७ | १.७४ | १.८ | |
| | ख) असजिलो सामान (जस्तै- प्लास्टिक टकी, पाईप, फलामे छड, ग्याविषन तार वा काँडे तार, जस्तापाता, टुन्डफर्मेर, फोल, तार, प्यानल, स्टे, इन्सुलेटर, फर्निचर र काँडे (विचान गरेको समेत आदी । | प्रति के.जी. / प्रति कोष | २.६४ | २.७४ | २.८ | |
| ६ | चौड अनलोड | | | | | |
| | क) असजिलो सामान (जस्तै- नुन, चिनी, सिमेन्ट र रसायनिक मज आदि) | प्रति क्वीन्टल | २१.४ | २१.७ | २२ | |
| | ख) सिमेन्ट | प्रति टोन | २१.४ | २१.७ | २२ | |
| | ग) असजिलो सामान (जस्तै- प्लास्टिक टकी र पाईप, फलामे छड, ग्याविषन तार वा काँडे तार, जस्तापाता, टुन्डफर्मेर, फोल, तार, प्यानल, स्टे, इन्सुलेटर, फर्निचर र काठ समेत आदी । | प्रति क्वीन्टल | ४२ | ४४ | ४४ | |
| ७ | दिलवा चौड अनलोड | | | | | |
| | | प्रति टन / टन | १६२० | १६४० | १६७० | |
| ८ | साथि ४ ख को दर देटमा मि. आई तथा पीलेबीन पाईपको इकासा | | | | | |
| | २ इन्च भन्दा माथीको ३ देखि ४ इन्च सम्म र ९० मिमि देखि २४० मिमि सम्मको इकासा | प्रती केजी / प्रति कोष | २.४ | ३ | ६.६ | |
| | ४ इन्च र २४० मिमि भन्दा माथी | प्रती केजी / प्रति कोष | ६.६४ | ६.९ | ७.९ | |

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | आ. व. | | | वैशिष्ट्य |
|---------|-------|------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | ०७८/७९ | ०७९/८० | ०८०/८१ | |

निर्णय नं ११ :

काठ बाउला कटान, मुख्यन घाटगढी गर्न देहाय बमोजिम दर रेट निर्धारण गरियो ।

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | आ. व. | | | वैशिष्ट्य |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | ०७८/७९ | ०७९/८० | ०८०/८१ | |
| १ | सब सम्पुर्ण तथा छागत | गौटा | ६.२ | ६.७ | ७.३५ | |
| २ | कटान मुख्यन | स्यु.फि. | १३.५ | १५.५ | १६.७० | |
| ३ | गोशिया काठ सम्पुर्ण तथा पहिचान | स्यु.फि. | १.९६ | १.९५ | १.३० | |
| ४ | गार्डिन गर्ने (भित्तलो पहाडी क्षेत्र) | स्यु.फि. | ३.५ | ३.६ | ३.९० | |
| ५ | काठ बेल्गानि | स्यु.फि. | | | ०.९० | |
| ६ | छाप्तन गरिको रुखको फोटी छिन्ने र टाण्ड फोहर दिने कार्य | गौटा | | | १०.९० | |
| ७ | बोका छिमे | स्यु.फि. | | | ५.६६ | |
| ८ | काठ दुवानी (घाट पट्टीनम्म) | | | | | |
| | (क) ० - २ कि.मी. सम्म | स्यु.फि. | २०.८५ | २२.९२५ | २५.०० | |
| | (ख) २ - ५ कि.मी. सम्म | स्यु.फि. | २५.३ | २६.७६ | २७.६० | |
| | (घ) ५ - ६ कि.मी. सम्म | स्यु.फि. | २३.० | २०.३८ | २९.६० | |
| | (घ) ६ - १० कि.मी. सम्म | स्यु.फि. | ३२.१ | ३३.३१ | ३७.५ | |
| | (ङ) १० - १५ कि.मी. सम्म | स्यु.फि. | ३८.३ | ४९.१३ | ४३.५ | |
| | (च) १५ - २० कि.मी. सम्म | स्यु.फि. | ३८.३ | ४९.१३ | ४५.५ | |
| ९ | सोड ब्रनमोड (गोशिया) | स्यु.फि. | १३.५ | १५.५०२ | १६.५२ | |
| १० | पार्किङ गर्ने | स्यु.फि. | ५.९ | ६.३०२ | ६.८२ | |
| ११ | साठनमा पुगेको गोशिया काठ निस्काले | स्यु.फि. | ९.७ | १०.५७६ | ११.१५ | |
| १२ | घरबाट बरामद काठ भित्रने | स्यु.फि. | ५.२ | ५.३३६ | ५.६९ | |
| १३ | बाउला संकलन तथा घाट गरी : | | | | | |
| | (क) संकलन, कटान, मुख्यन तथा फाटीका (२० * ५ * ५) फिट | चडा | ३३२० | ३५९० | ३८५० | |
| | (ख) सोड बममोड | चडा | १५३० | १६९० | १८३० | |
| | (ग) चडा निर्माण | चडा | १६५० | १८०० | १९३० | |
| | (घ) दुवानी | | | | | |
| | ० - १० कि.मी. सम्म | चडा | २७३० | ३००० | ३२०० | |
| | १० - २० कि.मी. सम्म | चडा | ३५५० | ३८९० | ४०३० | |
| | २० - ३० कि.मी. सम्म | चडा | ४३३५ | ४७६० | ४९८० | |
| १४ | घाटगढी, तारबार, चौकीघर, विज्ञापन, मसलान खर्च | स्यु.फि. | ६ | ६.५ | ७ | |
| १५ | जसमा माटी धास गरेको चित्वा दुवानी (प्रति इक २०० किलोमाको दरले) | प्रति इक | १३० | १५० | १५० | |
| १६ | रांग, सडि माड भेसी दुवानी ३ देवी ५ सम्म श्रीपादा धनगढी मेसि सिलगढी सम्म | प्रति गौटा | ६९३० | ६७०० | ७१७० | |
| १७ | सामुदायिक बमको बन कार्य योजना तयारी वा नबिकरण (सेवा प्रदायक) | प्रति समुह | ५१००० | ५४५०० | ५५००० | |
| १८ | कठुलिपेटी बम र धार्मिक बमको बन कार्य योजना तयारी वा नबिकरण (सेवा प्रदायक) | प्रति समुह | | | २५००० | |
| १९ | भित्रि बमको बन कार्य योजना तयारी (सेवा प्रदायक) | प्रति समुह | | २०००० | २१००० | |

निर्णय नं. १२ :

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | मा. व. | | | कैफियत |
|---------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| | | | ०७८/७९ | ०७९/८० | ०८०/८१ | |

भरिचवाट विद्युतीय सामग्री हुनको निम्नानुसार सभै निर्णय गरियो ।

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | मा. व. | | | कैफियत |
|---------|-----------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | ०७८/७९ | ०७९/८० | ०८०/८१ | |
| १ | एसीड | गिट्टर | १.८ | ४ | ४.२ | |
| २ | रेरेबल एम्पेता प्रति कोष | फि.घा. | १.८ | ४ | ४.२ | |
| ३ | जेनेरेटर १०५ के.भी.ए. प्रति कोष | फि.घा. | २.८ | ४ | ४.२ | |
| ४ | जेबल ड्रम प्रति कोष | फि.घा. | ८.२५ | ८.६ | ८.६५ | |
| ५ | १५ के.भि.ए. ट्रान्सफार्मेर प्रति कोष | प्रति गोटा | ११०५ | ११३० | १२२० | |
| ६ | २५ के.भि.ए. ट्रान्सफार्मेर प्रति कोष | प्रति गोटा | २०५० | २१४० | २२२० | |
| ७ | ३० के.भि.ए. ट्रान्सफार्मेर प्रति कोष | प्रति गोटा | २२४० | २४४० | २२०० | |
| ८ | १०० के.भि.ए. ट्रान्सफार्मेर प्रति कोष | प्रति गोटा | २८५० | २९१० | ३१०० | |
| ९ | कन्ट्रोलर तार टुका गर्न नभित्रने प्रति कोष | प्रति बजट | १०३० | १०८० | ११२० | |
| १० | ८-९ मो. नामो विद्युत साइजका सम्बा प्रति कोष | प्रति ताम | ८८५ | ९०० | ९४० | |
| ११ | ९ मो. भन्दा बढी नामो विद्युत साइजको सम्बा प्रति कोष | प्रति ताम | ९६० | ९७० | १०१० | |

निर्णय नं. १३ :

स्थानीय बिल्डा बरिचको दररेट निम्नानुसार तोक्ने निर्णय गरियो ।

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | मा. व. | | | कैफियत |
|---------|-----------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| | | | ०७८/७९ | ०७९/८० | ०८०/८१ | |
| १ | भूमिसो | गोडा | १२ | १२.५ | १२.५ | |
| २ | पेपीयर | सेट | ६.६ | ७ | ७ | |
| ३ | मुलाटो, पास गामम, सेन्टो सेटेरिया | गोडा | ५.५ | ५.७ | ५.७ | |
| ४ | बास | | | | | |
| ४.१ | बास (पोलिचिग वेबिसा) | गोटा | २६ | २६.५ | २६.९ | |
| ४.२ | बासको राईजुम | गोटा | ५०० | ५२५ | ५०० | |
| ४.३ | बासको बिल्डा प्रति गोटा करिग | गोटा | | | १६० | |
| ४.४ | बासको बिल्डा जरा सहित | गोटा | | | ३०० | |
| ४.५ | बास कलमी बसु सभै | गोटा | | | ५०० | |
| ५ | बोखर कलमी (२ वर्ष) | गोटा | २०० | २१० | २३० | |
| ६ | बोखर बिन्दु (२ वर्ष) | गोटा | १५० | १५५ | १५५ | |
| ७ | सुन्दला कलमी (२ वर्ष) | गोटा | १४५ | १५५ | १५० | |
| ८ | सुन्दला बिन्दु (२ वर्ष) | गोटा | ९० | ९५ | ९५ | |
| ९ | कागती कलमी | गोटा | १०५ | ११० | १२० | |
| १० | कागती बिन्दु | गोटा | ७० | ७३ | ७३ | |
| ११ | जुनार (मीसम) कलमी | गोटा | १४५ | १५५ | १५५ | |
| १२ | जुनार (मीसम) बिन्दु | गोटा | १५० | १५५ | १५५ | |
| १३ | इलुकावेद कलमी | गोटा | १५० | १५५ | १५५ | |
| १४ | इलुकावेद बिन्दु | गोटा | ८० | ८३ | ८३ | |
| १५ | भन्ना कलमी | गोटा | ८० | ८३ | ८३ | |
| १६ | भन्ना बिन्दु | गोटा | ८० | ८३ | ८३ | |
| १७ | नासपाती कलमी | गोटा | १४५ | १५५ | १५५ | |
| १८ | जुनार कलमी | गोटा | १४५ | १५५ | १५५ | |

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | आ. व. | | | वैशिष्ट्य |
|---------|----------------------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | ०७८/७९ | ०७९/८० | ०८०/८१ | |
| १९ | अंश कलमी | गोटा | १४४ | १४४ | १४४ | |
| २० | अपि (आसपासी, मल्लोका) कलमी | गोटा | २०४ | २०४ | २०४ | |
| २१ | सपाट कलमी | गोटा | १४४ | १४४ | १४४ | |
| २२ | निपासो | प्रति राईभुव | २० | २१ | २३ | |
| २३ | दाने घास | गोटा | ४१ | ४२ | ४४ | |
| २४ | भेटभर घास | गोटा | ६ | ६.१ | ६.१ | |
| २५ | सर्इउठ कटिंग (१ मिटर लामो) | गोटा | १९ | १९.५ | १९.८ | |
| २६ | भार कलमी | गोटा | १०२ | १०४ | १०४ | |
| २७ | भार कलमा पशु कलमी | गोटा | १०२ | १०४ | १०४ | |
| २८ | अन्ध वन प्रजातीका विरुद्ध | गोटा | २१ | ३० | ३० | |
| २९ | घर पशु | गोटा | ३० | ३०.५ | ३०.५ | |
| ३० | सुनापी कलमी | गोटा | १०४ | १०४ | १०४ | |
| ३१ | केतुकी | गोटा | १३ | १३.५ | १३.५ | |
| ३२ | केरा | गोटा | ८० | ८३ | ८३ | |
| ३३ | डेक घास गहु अर्धे | गोटा | | १०० | १०० | |
| ३४ | रिडा | गोटा | | ४० | ४० | |
| ३५ | गहरे पिपल गहु अर्धे | गोटा | | ७० | ७० | |
| ३६ | अमास | गोटा | | ९० | ९० | |
| ३७ | लुकी | गोटा | | १०० | १०० | |
| ३८ | दिपुर गहु अर्धे | गोटा | | १०० | १०० | |

निर्णय नं. १४ :

कृषि र पशुसम्बन्धित अर्थको बारेमा विभिन्नकार तोकने निर्णय गरियो ।

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | आ. व. | | | वैशिष्ट्य |
|---------|----------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | ०७८/७९ | ०७९/८० | ०८०/८१ | |
| १ | उष्ण घनत्व टर्किंग आन्धर कलमी (सामान्य, टिकीकटे) | गोटा | ७०० | ७०० | ६५० | |
| २ | उष्ण घनत्व टर्किंग सपाट कलमी (सामान्य, फूल, गोडोव) | गोटा | १००० | १००० | १००० | |
| ३ | किमि प्राक्टिब विभिन्न काठाल | गोटा | ३५० | ३५० | ३५५ | |
| ४ | निच विन. गेटव (सि. डेट) | गोटा | १५००० | १५००० | १५००० | |
| ५ | गदपीला नस | के.वि. | ४० | ४० | ४० | |
| ६ | प्राथमिक मल | के.वि. | ३५ | ३५ | ३५ | |
| ७ | पशुसम्बन्धित स्वामित्व पशु (२.२ वर्ष) | गोटा | १००००० | ११०००० | ११०००० | |
| ८ | पशुसम्बन्धित स्वामित्व पशु (१.५ वर्ष) | गोटा | १५०००० | १६५००० | १६५००० | |
| ९ | पशुसम्बन्धित स्वामित्व (१.५ वर्ष) | गोटा | ८०००० | ८८००० | ८८००० | |
| १० | पशुसम्बन्धित स्वामित्व (३.५ वर्ष) | गोटा | १२०००० | १३२००० | १३२००० | |
| ११ | पशुसम्बन्धित स्वामित्व (३.५ वर्ष) | गोटा | ४०००० | ४४००० | ४४००० | |
| १२ | पशुसम्बन्धित स्वामित्व (३.५ वर्ष) | गोटा | ८०००० | ८८००० | ८८००० | |
| १३ | सामान्य माउ माछा | गोटा | १०००० | ११००० | १२००० | |
| १४ | सामान्य माउ माछा (१० प्रतिशत सुदला) | गोटा | २०००० | २२००० | २२००० | |
| १५ | सामान्य माउ माछा (१० प्रतिशत सुदला) | गोटा | ३०००० | ३२००० | ३२००० | |
| १६ | सामान्य माउ माछा (१० प्रतिशत सुदला) | गोटा | ३०००० | ३३००० | ३३००० | |
| १७ | वे. घास | के. वि. | | ८० | ८० | |








| क्र.सं. | विवरण | इकाई | आ. सं. | | | क्षेत्र |
|---------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| | | | ०८८/७९ | ०८९/८० | ०९०/८१ | |
| १८ | बर्सेन | के.जी. | | ३५० | ३५० | |
| १९ | रेड बेसिन | सिला | | १५ | १५ | |
| २० | स्वर्ट बेसिन | सिला | | १० | १० | |
| २१ | सुनर बेसिन | सेट | | ५ | ५ | |
| २२ | किन्नु हाइवेड | सोटा | | २० | २० | |
| २३ | बदर | सोटा | | २० | २० | |
| २४ | इभिम इभित, लकी, डोईरल, बटनासे, म्याकुसा | सोटा | | १८ | १८ | |
| २५ | मुसाटे, पासपालन | सिला | | २ | २ | |
| २६ | द्वारन कुट | सोटा | सर्वोच्च विद्यालय, का. मन्थली र हाइवेडको जम्मा १२ इन्च भन्दा माथि भएको १४ अक्षर दुवैको, सिस्नाको जम्मा १० अक्षर कोष माटोबाट कोटी विकास। | २२० | २२० | |

निर्णय नं. १५ :

यस जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी सम्बन्धित स्थानिय तह भित्र संकलन हुने कार्यहरूमा स्थल विशेषको आधारमा खराब काम हुने गरी निर्माण सामग्री तथा ज्यालाको दररेट सम्बन्धित स्थानिय तहले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

निर्णय नं. १६ :

केन्द्रीय पदार्थका लागि नेपाल मापन निगमद्वारा निर्धारण गरिएको दररेटलाई आधार मानिनेछ ।

निर्णय नं. १७ :

उपरोक्त निर्धारित दररेटहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) समावेश गरिएको छैन ।












 २०७०/१२/२८